>

Title : Need to relax the norms for sanctioning loans to farmers in the Country.

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर) : अध्यक्ष महोदय, कृÂिष प्रधान देश भारत में आजादी के 60 वर्ष बाद भी खेती एवं खेती करने वाले किसान की वांछित उन्नति नहीं हो पायी है। गांवों में रहने वाला किसान अपनी खेती या खेती में उपयोग होने वाले साधनों हेतु बैंक से ऋण लेना चाहता है तो तमाम कागजी आवश्यकताओं के कारण समय पर बैंक ऋण नहीं देते हैं। जैसे यदि कृषक अपने घर को मॉरगेज रखना चाहता है तो किसान के घर की रजिस्ट्री के मूल कागजात ही बैंक में ऋण हेतु मान्य होते हैं। छोटे एवं गरीब किसान जिनको रहने के लिए घर भी ठीक से नसीब नहीं होते, उन्हें अपने मूल कागजात संभाल कर रखना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में यदि रजिस्ट्री की मूल प्रति गायब हो जाए तो प्रमाणित प्रति या मूल खतौनी के कागज को मान्य नहीं किया जाता है जिस कारण जरूरतमंद एवं गरीब किसानों को ऋण प्राप्त नहीं हो पाता।

अतः सदन के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि देश के सभी बैंकों को इस प्रकार का निर्देश दें कि यदि ऐसे किसानों के पास खतौनी की मूल प्रति तथा रजिस्ट्री की मूल प्रति के स्थान पर उस की प्रमाणित नकल भी उपलब्ध हो तो उसका मूल्यांकन कर आसान ढंग से ऋण देने की व्यवस्था बैंकों द्वारा की जाए ताकि ग्रामीण कृषकों की सहायता हो सके।